



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 3102

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 41609 सन् 2025

बाँबी

....याचीकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता

:- उर्वेश कुमार

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:- सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादी के विद्वान ए.जी.ए. श्री बृजेन्द्र कुमार को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

यह जमानत आवेदन आवेदक की ओर से, अपराध संख्या 295/2016 में – उ.प्र. गुण्डा एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के अंतर्गत, थाना मरहरा, जिला एटा में – विचाराधीन जमानत पर रिहाई हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक निर्दोष है। गैंग-चार्ट में उल्लिखित आपराधिक इतिहास को शपथपत्र में स्पष्ट किया गया है। आवेदक को गैंग-चार्ट में उल्लिखित सभी मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, नेता या आयोजक नहीं है। आवेदक दिनांक 16.09.2025 से कारागार में है। विचारण के शीघ्र समाप्त होने की संभावना नहीं है।

आवेदक के अधिवक्ता ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2020 (11) SCC 648** का हवाला दिया जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अभियुक्त के विरुद्ध अनेक आपराधिक मामलों का लंबित होना मात्र जमानत नकारने का आधार नहीं हो सकता।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विद्वान ए.जी.ए. आवेदक की जमानत याचना का विरोध नहीं कर सके और कोई अतिरिक्त मामला नहीं बता सके।

समस्त तथ्यों की समग्रता, अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्य की प्रकृति एवं अधिनियम की धारा 19(4) को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत का उचित प्रकरण है। अतः वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

आवेदक **बाँबी** को उक्त अपराध संख्या में व्यक्तिगत मुचलका एवं दो विश्वसनीय जमानतदार, प्रत्येक समान राशि में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी साक्षी को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देगा; साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों को दबाएगा/भयभीत नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक प्रकरण प्रारंभ, आरोप विरचन एवं कथन अंकन की तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहेगा।
- (iv) आवेदक साक्षियों की उपस्थिति में साक्ष्य की तिथियों पर स्थगन नहीं माँगेगा।
- (v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

उक्त शर्तों के उल्लंघन पर जमानत निरस्त की जा सकेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात प्रकरण की गुणावगुणता पर अभिव्यक्ति नहीं है और विचारण न्यायालय पूर्णतः स्वतंत्र रूप से निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र है।

7 जनवरी, 2026

पी.के.एस.

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)